झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

अधिसूचना

सं0 : 1214 रांची, दिनांकः 21-04-14

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अर्न्तगत 12वीं पंचवर्षीय योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 4.2 तथा 4.3 के अनुसार राज्यस्तर एवं जिलास्तर पर क्रमशः राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति एवं जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति के गठन का प्रावधान है। कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्यस्तर एवं जिलास्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यकलापों का संचालन किया जाना है। कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :

I. मार्गदर्शिका के कंडिका 4.2.1 के अनुसार राज्यस्तर पर राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें :

क्रमांक	पदनाम	
1.	मुख्य सचिव, झारखण्ड	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	सदस्य
3.	प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव, उर्जा विभाग	सदस्य
5.	प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
6.	प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
7.	आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड	सदस्य
8.	कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	सदस्य
9.	निदेशक, कृषि, झारखण्ड, रांची	सदस्य
10.	प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय ऊपराऊँ भूमि चावल अनुसंधान संस्थान, हजारीबाग	सदस्य
11.	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, झारखण्ड, रांची	सदस्य
12.	राज्य समन्वयक, एस0एल0बी0सी0, झारखण्ड	सदस्य
13.	राज्य मिशन निदेशक, एन0एफ0एस0एम0, झारखण्ड	सदस्य सचिव

II. 12वीं पंचवर्षीय योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 4.3.3 के अनुसार जिलास्तर पर जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति (DFSMEC) का गठन किया जाना है। राज्यस्तर से प्राप्त निधि को जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की अनुसंशा के आलोक में व्यय किया जाना है, जिसका अनुश्रवण भी कार्यकारिणी समिति के निदेशानुसार किया जाना है।

जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति का गठन संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्नवत् किया जाता है :

कमांक	पदनाम	
1.	संबंधित जिला के उपायुक्त	अध्यक्ष
2.	जल संसाधन, उर्जा, पंचायती राज, कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी	सदस्य
(i)	जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी	सदस्य
(ii)	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी	सदस्य
(iii)	जिला सहकारिता पदाधिकारी	सदस्य
3.	अध्यक्ष, जिला कृषक सलाहकार समिति, आत्मा	सदस्य
4.	कृषक समूह के प्रतिनिधि (उपायुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
5.	जिला में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि (उपायुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
6.	कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
7.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के सह निदेशक(यदि अवस्थित है)	सदस्य
8.	जिला के ICAR संस्थान के प्रतिनिधि (यदि अवस्थित है)	सदस्य
9.	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
10.	जिला के अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
11.	उप महाप्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य
12.	परियोजना निदेशक, आत्मा	सदस्य सचिव

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग,
झारखण्ड।

ज्ञापांक.......... 1214 /राँची दिनांक............... 21-04-14

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, हिनु, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक.......... 1214 /राँची दिनांक............... 21-04-14

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक......1214   /राँची दिनांक......21-04-14

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक......1214   /राँची दिनांक......21-04-14

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त-सह-अध्यक्ष (आत्मा) झारखण्ड/कृषि निदेशक, झारखण्ड राँची/निदेशक समेति, झारखण्ड राँची/संयुक्त कृषि निदेशक, राँची, दुमका, हजारीबाग/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी एन. एफ. एस. एम. जिला एवं जिला कृषि पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक......1214   /राँची दिनांक......21-04-14

प्रतिलिपिः सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना), कार्यवाहक सहायक तथा बजट एवं योजना शाखा, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।